सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
देहरादून, सोमवार, 06 मार्च, 2006 ई0
फाल्गुन 15, 1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या– 370/XXIII/06/115/2005
देहरादून : दिनांक 06 मार्च, 2006

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरांचल राज्य में देशी एवं विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए निम्नवत् आबकारी नीति घोषित करते हैं :–

यह नीति दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक प्रभावी रहेगी।

1- लाईसेन्स फीस का निर्धारण:–

वित्तीय वर्ष 2006–07 की लाईसेन्स फीस के निर्धारण हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिये निर्धारित देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों की श्रेणी देशी मदिरा के लिये बल्क लीटर में एवं विदेशी मदिरा के लिये बोतलो में वित्तीय वर्ष 2005–06 की भांति स्लैबवार यथावत रखी जाायेगी तथा प्रत्येक स्लैब के लिये निर्धारित लाईसेन्स फीस मे 15 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी एवं इसे एक हजार के पूर्णांक में **(राउण्ड अप)** करते हुए निर्धारित की जायेगी।

2. न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी का निर्धारण :–देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी में वर्ष 2006–07 में निम्नानुसार वृद्धि की जायेगी–

क0	वर्ष 2005–06 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रो की संख्या	वृद्धि लक्ष्य

स0		
1	जिन दुकानो पर 1400 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए।	20 प्रतिशत
2	जिन दुकानो पर 1000 या उससे अधिक परन्तु 1400 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।	19 प्रतिशत
3	जिन दुकानों पर 500 या उससे अधिक परन्तु 1000 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।	18 प्रतिशत
4	जिन दुकानों पर 200 या उससे अधिक परन्तु 500 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।	17 प्रतिशत
5	जिन दुकानों पर 50 या उससे अधिक परन्तु 200 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।	16 प्रतिशत
6	जिन दुकानों पर 50 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए।	15 प्रतिशत

वर्ष 2005–06 में दुकान पर अतिरिक्त उठान की राशि को दुकान के वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी में जोड़कर वृद्धि की गणना की जायेगी।

3. राजस्व निर्धारण :–

प्रस्तावित नीति के उपरोक्त बिन्दु 2 के अनुसार दुकानवार निर्धारित किये गये न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी तथा उपरोक्त बिन्दु 1 के अनुसार निर्धारित लाईसेन्स फीस की राशि को जोड़कर दुकानवार राजस्व की राशि का आंगणन किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान दुकानवार निर्धारित न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त उठान पर अतिरिक्त लाईसेन्स फीस की छूट प्रदान की जायेगी परन्तु 10 प्रतिशत से अधिक मदिरा का उठान करने पर यदि कोई दुकान लाईसेन्स फीस के अगले स्लैब में आ जाती है, तो उसे बढ़ी दर से लाईसेन्स फीस देनी होगी।

4. देषी एवं विदेषी मदिरा की दुकानों के राजस्व का निर्धारणः–

बिन्दु 1,2 व 3 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दुकानवार राजस्व को जोड़ते हुए जनपद का वर्ष 2006–07 हेतु राजस्व निर्धारित किया जायेगा।

5. देषी एवं विदेषी मदिरा की फुटकर दुकानों का आवंटनः–

उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार दुकानवार राजस्व निर्धारित हो जाने के उपरान्त जिलाधिकारियों द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों, सहकारी संस्थाओं तथा निजी आवेदकों से निर्धारित राजस्व पर देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान चलाने हेतु निर्धारित प्रारूप, (जिसे सम्बन्धित क्षेत्र के दो प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जायेगा,) पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ 200/रू0 की फीस नगद अथवा किसी अनुसूचित अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट प्रक्रिया शुल्क के रूप में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम से जमा कराना होगा, जो प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में नही होंगे उन्हे निरस्त कर दिया जायेगा। जहां एक दुकान के लिये एक ही आवेदक हो उसे दुकान आवंटित की जा सकेगी तथा एक से अधिक आवेदकों की दशा में लाटरी द्वारा आवंटन किया जायेगा। देशीं एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु उपरोक्त प्रक्रिया तब तक अपनाई जायेगी, जब तक कि समस्त दुकानें व्यवस्थापित नहीं हो जाती हैं।

परन्तु यदि वित्तीय वर्ष 2006–07 की किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन की प्रक्रिया में समय लगता है तो व्यवस्थापन की अवधि में दुकान दैनिक आधार पर चलायी जायेगी। इसके लिये भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा आवेदन करने पर निर्धारित राजस्व के सापेक्ष दैनिक मूल्य पर दुकान संचालित करने की अनुमति प्रदान किये जाने पर भी विचार किया जा सकेगा।

परन्तु यह और कि उपरोक्त दोनों निगमों, पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों, सहकारी संस्थाओं को छोड़कर उपरोक्त प्रक्रिया में निजी अनुज्ञापी को एक जनपद में देशी एवं विदेशी मदिरा की एक से अधिक दुकान आवंटित किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा, अर्थात देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा में से केवल एक ही दुकान आवंटित की जायेगी।

परन्तु यह भी कि यदि उपरोक्त प्रकिया में कोई देशी या विदेशी मदिरा की दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है तो उनके व्यवस्थापन के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा शासन के अनुमोदनोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

6. पात्रताः—

देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में पात्रता की शर्तें वित्तीय वर्ष 2004—05 के अनुरूप होंगी।

अनुज्ञापी को दुकान आवंटिंत होने के तीस दिन के भीतर जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण— पत्र तथा तीन माह के भीतर हैसियत प्रमाण—पत्र लाईसेसिंग प्राधिकारी(कलक्टर) के पास प्रस्तुत करना होगा। पावर आफ अटार्नी के आधार पर दुकान संचालित करने की अनुमति दिये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।

7. देषी एवं विदेषी मदिरा की निकासी में न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी की गणनाः—

निकासी हेतु वर्ष 2006—07 के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के विपरीत देशी मदिरा की प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा की प्रति बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के आधार पर दुकानवार मदिरा की निकासी प्राप्त की जा सकेगी।

8. देषी एवं विदेषी मदिरा पर उत्पाद शुल्क की दरः—

विदेशी मदिरा पर संदेय उत्पाद शुल्क की दर रू0 55.00 प्रति अल्कोहलिक लीटर होगी। देशी मदिरा (36वी0 / वी0 तीव्रता) पर डयूटी गत वर्ष के समान रू0 70.00 प्रति बल्क लीटर रहेगी।

9. विदेषी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी की गणनाः—

विदेषी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी की गणना हेतु दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैं —

1.रू0 22.00 प्रति बोतल तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 55.00
2.रू0 22.01 से रू0 35.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 65.00
3. रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 75.00

4. रू0 55.01 से रू0 75.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 85.00
5. रू0 75.01 से रू0 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 100.00
6 रू0 150.01 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0110.00

10 सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिक्री पर ड्यूटी तथा एसेस्मेंट फीस की दरः–

सैन्य कैन्टीनों की व्यवस्था गत वर्ष के अनुरूप रहेंगी।

11. मदिरा का विक्रय मूल्यः–

वित्तीय वर्ष 2005–06 की भांति मदिरा के विक्रय मूल्य के परिप्रेक्ष्य में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जायेगा । अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की स्थिति में अनुज्ञापन निरस्त किया जा सकेगा।

12 विदेशी मदिरा के थोक (एफ0एल0–2) अनुज्ञापनः–

वित्तीय वर्ष 2006–07 में गढ़वाल मण्डल में गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमायूँ मण्डल में कुमायूँ मण्डल विकास निगम के साथ–साथ दोनों मण्डलों के जनपदों में पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 को भी आवेदन करने पर एफ0एल0–2 अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा किन्तु एफ0एल0–2 के स्तर पर लिया जाने वाला लाभांश गत वर्ष आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

एफ0एल0–2 के अन्तर्गत 500 एम0एल0 एवं 330 एम0एल0 के पैक में भरी बियर की बिक्री की अनुमति भी दी जायेगी। विदेशी मदिरा भी 90 एम0एल0 के पैक में बेची जा सकेगी।

वर्ष 2006–07 हेतु विभिन्न जनपदों के एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों की लाईसेन्स फीस को उनकी विदेशी मदिरा की खपत के आधार पर पुनः निर्धारित किया जोयगा।

सबसे कम प्रति बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की विदेशी मदिरा को प्रदेश के बाहर से आयात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के बाहर के विदेशी मदिरा के निर्माता विदेशी मदिरा के केवल अपनी आसवनी के विदेशी मदिरा के ब्रान्डस ही उत्तरांचल स्थित अपने बाण्ड लाईसेन्सों के माध्यम से उत्तरांचल में बेच सकेंगे। यदि कोई निर्माता किसी अन्य

आसवनी/निर्माता के ब्रान्डस की बाटलिंग अपनी ईकाई में करता है तो दूसरे विनिर्माता के इन ब्रान्डस को अपने बाण्ड से बेचने की अनुमति ऐसे बाण्ड धारक निर्माता को नहीं दी जायेगी। इसके लिये उत्पादकवार अलग से बाण्ड लाईसेन्स लेना होगा।

13 गढ़वाल मण्डल के पांच जनपदों में देषी मदिरा की दुकानों का संचालनः–

गढ़वाल मण्डल के पांच जनपदों पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी व रूद्रप्रयाग में वित्तीय वर्ष 2005–06 की भांति केवल विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें ही संचालित किये जायेंगे तथा इन जनपदों में फुटकर दुकानों से विदेशी मदिरा की पूर्व में जारी परमिट से बिक्री की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जायेगा।

14 जनपदों में दुकान का स्थान परिवर्तन :–

जिलाधिकारियों द्वारा दुकान रहित स्थानों में स्वविवेकानुसार दुकान खोलने के निर्णय लिये जा सकेंगें परन्तु दुकानों को खोलने से पूर्व दुकान का राजस्व एवं दुकान खोलने के आधार सहित आबकारी आयुक्त का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। स्थान परिवर्तन की जाने वाली दुकान का राजस्व, जनपद की अन्य दुकानों के राजस्व के अतिरिक्त होगा।

15 जनपदों में देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों को बन्द करने के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारियों को जनपद की आवश्यकतानुसार स्वविवेकानुसार निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जायेगा। ऐसी स्थिति में न तो सम्बन्धित जनपद का आवंटित राजस्व कम होगा और न ही क्षेत्र दुकान रहित होगा। जनपद की सीमान्तर्गत दुकान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित हो तो इस सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी स्वविवेकानुसार आबकारी अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्णय ले सकेगें परन्तु ऐसी स्थिति में किसी दुकान के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा कोई क्षेत्र दुकान रहित जोन नहीं हो सकेगा।

16 बार एवं क्लब बार लाईसेन्सः–

बार अनुज्ञापन के फलस्वरूप दी जाने वाली विदेशी मदिरा की निकासी पर डयूटी की दर निम्नानुसार होगीः—

1. रू0 22.00 प्रति बोतल तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 55.00
2. रू0 22.01 या उससे अधिक रू0 35.00 तक प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 65.00
3. रू0 35.01 या उससे अधिक प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 80.00

होटल एवं रेस्त्राओं के अलावा गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमायूँ मण्डल विकास निगम के पर्यटक आवास गृहों द्वारा मांग किये जाने पर बार लाईसेन्स निर्गत किये जायेंगे। अनुज्ञापन से सम्बन्धित अन्य व्यवस्था एवं शर्ते वित्तीय वर्ष 2004—05 के अनुरूप यथावत रहेगी।

बड़े व्यवसायिक होटलों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे होटलों एवं रेस्त्राओं को भी बार लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा, यदि आवेदन किये जाने वाले वर्ष में आवेदन किये जाने की तिथि तक उनके होटल/रेस्त्राओं में पके हुए भोजन की बिक्री रू0 5.50 लाख अथवा उससे अधिक हो।

17 बियर बार लाईसेन्सः—

बियर बार लाईसेन्स स्वीकृत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2004—05 की नीतियों का अनुकरण किया जायेगा। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से उन होटल एवं रेस्त्राओं, जिनकी विगत वर्ष में पके हुए भोजन की बिक्री 3.00 लाख रूपये (तीन लाख रूपये) वार्षिक या उससे अधिक रही हो उन्हे रू0 20,000/—(बीस हजार रूपये) प्रतिवर्ष की दर से अनुज्ञापन शुल्क के आधार पर बियर बार लाईसेन्स स्वीकृत किया जायेगा। इस अनुज्ञापन के अन्तर्गत वह केवल बियर की बिक्री के पात्र होगें।

सीजनल पर्यटक स्थलों के लिये छः माह की अवधि के लिये भी लाईसेन्स दिये जा सकेगें एवं सीजनल बियर बार हेतु लाईसेन्स फीस, बियर बार हेतु निर्धारित लाईसेन्स फीस की आधी अर्थात रू0 10,000/—(दस हजार रूपये मात्र) होगी।

बड़े व्यवसायिक होटलों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे होटलों एवं रेस्त्राओं को भी बियर बार लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा, जिनके आवेदन किये जाने की तिथि तक उनके होटल/रेस्त्राओं में पके हुए भोजन की बिक्री रू0 3.00 लाख अथवा उससे अधिक हो।

18 आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापनाः–

आसवनियों, बाटलिग प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था रखी जायेगीः–

(क) आसवनियों की स्थापना हेतु अनुज्ञापन देने पर विचार नहीं किया जायेगा ।

(ख) बाटलिंग प्लान्ट लगाने के लिये पूर्व वर्ष की नीति के अनुरूप इस व्यवसाय में पूर्व से ही प्रतिष्ठित एवं ख्यातिप्राप्त निर्माताओं से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

एफ0एल0.–3 ए लाईसेन्स के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की बोतल भराई पर एफ0एल0एम0–3 के समान लाईसेन्स फीस संदेय होगी । इन लाईसेन्सो के अन्तर्गत भरी गयी विदेशी मदिरा की प्रत्येक बोतल/ अद्धा/ पव्वा पर क्रमशः

रू0 4.50/–, रू0, 2.25/– एवं रू0 1.15/– बाटलिंग फीस देय होगी। विदेशी मदिरा विनिर्माणशाला की स्थापना नियमावली, 1997 के अन्तर्गत मदिरा की बोतल भराई सीमा को बढ़ाने के लिये आबकारी आयुक्त शासन की पूर्वानुमति से इस नियमावली को संशोधित कर सकेंगे।

प्रदेश के बाहर निर्यात हेतु विदेशी मदिरा पैट (Polyethylene Tetra Phthalate) बोतलों में भरी जा सकेगी परन्तु अनुज्ञापी को इस सम्बन्ध में सक्षम संस्था का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि इन बोतलों में भरी गयी मदिरा मानव उपभोग हेतु सुरक्षित होगी।

(ग) ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना हेतु गत वित्तीय वर्ष के अनुरूप लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा तथा वाईन किन धारिता की बोतलों में भरी जायेगी इसके निर्धारण हेतु आबकारी आयुक्त अधिकृत होंगे। ऐसे ख्याति प्राप्त

जनरल मर्चेन्ट्स जिनका वार्षिक टर्नओवर वाणिज्य कर विभाग द्वारा कम से कम पांच लाख रूपये वार्षिक प्रमाणित हो, उन्हे पांच हजार रूपये वार्षिक लाईसेन्स फीस पर केवल उत्तरांचल में बनी वाईन बेचने हेतु लाईसेन्स दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त उत्तराचंल में बनी ड्राफ्ट बियर की बिक्री की अनुमति बारों तथा कैन्टीनों में दी जायेगी।

19. गैसोहोल/इथेनॉल प्लान्ट

उत्तरांचल के शीरा डेफिसिट राज्य होने के कारण गैसोहोल/इथेनाल प्लान्ट स्थापित करने हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी।

20 देशी एवं विदेशी मदिरा की बोतलों पर वर्तमान में होलोग्राम लगाये जाने की व्यवस्था यथावत रखी जायेगी। राजस्व सुरक्षा की दृष्टि से फुटकर दुकानों से बेची जाने वाली बियर की बोतलों पर भी सुरक्षा होलोग्राम लगाये जाने की व्यवस्था की जायेगी, परन्तु होलोग्राम के वर्तमान डिजाईन को बदल दिया जायेगा।

21 देशी मदिरा की शत प्रतिशत भराई वर्ष 2005–06 के अनुरूप कांच की नई बोतलों में ही की जायेगी। पॉली पाउचों तथा पैट बोतलों में भरी देशी मदिरा की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा।

22. जनहित में देशी मदिरा की गुणवत्ता में सुधार हेतु भविष्य में देशी मदिरा का निर्माण केवल एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई0एन0ए0) से ही कराया जायेगा। देशी मदिरा के वर्तमान आवंटन क्षेत्र को वर्ष 2005–06 के अनुरूप ही रखा जायेगा।

23 विदेशी मदिरा एवं बियर की पॉली पाउचों/प्लास्टिक की बोतलों में बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। यह प्रतिबन्ध उत्तरांचल राज्य में स्थित सैन्य कैन्टीनों पर भी लागू रहेगा, परन्तु जिन प्रदेशों में पैट बोतलों में भरी विदेशी मदिरा की बिक्री अनुमन्य है उन प्रदेशों को निर्यात की जाने वाली विदेशी मदिरा पैट बोतलों में इस शर्त के साथ भरी जा सकेगी कि मदिरा निर्माता को सक्षम संस्था का प्रमाण– पत्र प्रस्तुत करना होगा कि इन बोतलों में भरी गयी मदिरा मानव उपभोग हेतु सुरक्षित होगी।

24 भांग के अनुज्ञापन में वर्ष 2002–03 की नीति यथावत रहेगी।

25 बार लाईसेन्सों की फीस में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी।

26. वर्ष 2006–07 में केवल दिसम्बर व जनवरी माह में ही मदिरा की दुकानें प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक खोली जायेगी शेष अवधि में दुकानें प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी जायेगी।

27 फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में एडवान्स में जमा की गयी राशियों को वर्ष के अन्तिम माहो में अनुज्ञापी की देयता के विरूद्ध समायोजित कर लिये जाने की बाध्यता नियमों में रखी जायेगी।

28 अन्य व्यवस्थायें विगत वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुरूप यथावत रहेगी।

29. उपरोक्त नीति के कियान्वयन हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार शासन के अनुमोदन से संशोधित नियम उपबंधित किये जायेंगे।

आज्ञा से,

(गोबिन्द बल्लभ ओली)
संयुक्त सचिव।

संख्या 5526 / सात–लाईसेन्स–12 / व्यवस्थापन 2006–07

प्रेषक,

नवीन चन्द शर्मा
आबकारी आयुक्त
उत्तराचंल देहरादून।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी
   उत्तराचंल ।
2. समस्त जिला आबकारी अधिकारी,
   उत्तराचंल।

देहरादून दिनांक मार्च 7, 2006

विषयः– वर्ष 2006–07 हेतु आबकारी नीति घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराचंल शासन की अधिसूचना संख्या 370/XXIII/06/115/2005/दिनांक 6.3.2006 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिये घोषित आबकारी नीति के अन्तर्गत उत्तराचंल राज्य के समस्त जनपदो में स्थित देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर दुकानो के दिनांक 1.4.2006 से 31.3.2007 तक के व्यवस्थापन हेतु गढवाल मण्डल विकास निगम, कुमायूॅ मण्डल विकास निगम , पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 भूतपूर्व सैनिको की पंजीकृत सहकारी समितियो, सहकारी संस्थाओ तथा निजी आवेदको से सम्बन्धित दुकान के "**निर्धारित राजस्व पर**" निर्धारित प्रारूप मे आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र तथा उसके साथ दिये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। निर्धारित प्रारूप में भरे हुये आवेदन पत्र रू0 200/(दो सौ मात्र) शुल्क के साथ जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते है व प्राप्ति रसीद ले सकते है।

जनपद मे दुकानो की स्थिति, उनका निर्धारित राजस्व एवं अन्य सूचनाये सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। इनके सम्बन्ध में सूचना जनपद के जिला आबकारी अधिकारी एंव जिला कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध रहेंगी।

दुकानो के आवंटन का कार्यक्रम निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है:–

1. प्रथम चरण–

आवेदन पत्र दिनांक 16.3.2006 तक कार्यालय दिवसो में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा किये जा सकेगें । प्राप्त आवेदन पत्रो के आधार पर दिनांक 20.3.2006 को जिलाधिकारी के समक्ष सम्बन्धित जिला कलेक्ट्रेट परिसर में दुकानो का आवंटन किया जायेगा। **निर्धारित राजस्व** पर यदि एक दुकान के लिये एक ही आवेदन पत्र प्राप्त हो, उस आवेदक को दुकान आवंटित कर दी जायेगी। तथा एक से अधिक आवेदको की दशा में दुकानो का आवंटन लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।

2. द्वितीय चरण–

जो दुकाने दिनांक 20.3.2006 के आवंटन मे व्यवस्थापित नही हो पायेगी उनकी सूची सम्बन्धित जिला कलेक्ट्रेट एवं जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी। सूची में अंकित उन दुकानो के व्यवस्थापन हेतु पुनः दिनांक 21.3.2006 व 22.3.2006 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगें तथा उपरोक्त प्रथम चरण की प्रकियानुसार दिनांक 24.3.2006 को आवंटन किया जायेगा।

3. तृतीय चरण–

जो दुकाने दिनांक 24.3.2006 के आवटंन में भी व्यवस्थापित नही हो पायेगीं उनके व्यवस्थापन हेतु पुनः दिनांक 25.3.2006 व 26.3.2006 को प्रात 10.00 बजे से सांयकाल 5.00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित करके प्रथम चरण मे वर्णित प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 28.3.2006 को आवंटन किया जायेगा ।

प्रत्येक चरण की समाप्ति के पश्चात दुकानवार आवंटन की पूर्ण स्थिति क्रमश दिनांक 21.3.2006, 25.3.2006, एवं 29.3.2006 की सांय 5.00 बजे तक आबकारी मुख्यालय देहरादून को फैक्स नं0–0135 2608087 पर भेजना सुनिश्चित किया जाये।

आवेदको कीपात्रता की शर्ते एवं दुकान आवंटन प्रक्रिया संलग्न प्रपत्र के अनुसार रहेगी। आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु समुचित प्रचार/प्रसार किया जाये एवं प्रचार विख्यात समाचार पत्रो के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

<u>संलग्नक</u>

1. वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु घोषित आबकारी नीति की प्रति।
2. वित्तीय वर्ष 2006–07 मे देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानो के व्यवस्थापन हेतु आवश्यक सूचना राजस्व निर्धारण, पात्रता की शर्ते तथा आवंटन की प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश।
3. देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन दे0म0 5ग हेतु आवेदन पत्र एवं विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन विदेशी मदिरा–5घ हेतु आवेदन पत्र के प्रारूप।

4. देशी / विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर लाईसेन्स हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र का प्रारूप ।

भवदीय

(नवीन चन्द शर्मा)
आबकारी आयुक्त
उत्तराचंल।

संख्या:5527 / सात–लाईसेन्स–12 / व्यवस्थापन 2006–07
प्रतिलिपि:– सचिव, आबकारी विभाग,उत्तराचंल शासन, देहरादून को शासनादेश संख्या 374 / XXIII / 06 / 115 / 2005 / दिनांक 6.3.2006 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित ।

(नवीन चन्द शर्मा)
आबकारी आयुक्त
उत्तराचंल।

संख्याः5541–53 / सात–लाईसेंस–12 / व्यवस्थापन / 2006–07

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल।

देहरादूनः दिनांकः मार्च 08, 2006

विषयः विदेशी मदिरा की थोक बिक्री के संबंध में।

महोदय,

वर्ष 2006–07 हेतु घोषित आबकारी नीति में प्राविधान रखे गये हैं:–

1. विदेशी मदिरा के एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों तथा बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2 / 2बी लाईसेंसों के संबंध में निम्न व्यवस्था रखी गयी है:–

विदेशी मदिरा के थोक (एफ0एल0–2) अनुज्ञापनः–

वित्तीय वर्ष 2006–07 में गढ़वाल मण्डल में गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमायूँ मण्डल में कुमायूँ मण्डल विकास निगम के साथ–साथ दोनों मण्डलों के जनपदों में पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 को भी आवेदन करने पर एफ0एल0–2 अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा किन्तु एफ0एल0–2 के स्तर पर लिया जाने वाला लाभांश गत वर्ष आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

एफ0एल0–2 के अन्तर्गत 500 एम0एल0 एवं 330 एम0एल0 के पैक में भरी बियर की बिक्री की अनुमति भी दी जायेगी। विदेशी मदिरा भी 90 एम0एल0 के पैक में बेची जा सकेगी।

वर्ष 2006–07 हेतु विभिन्न जनपदों के एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों की लाईसेन्स फीस को उनकी विदेशी मदिरा की खपत के आधार पर पुनः निर्धारित किया जोयगा।

सबसे कम प्रति बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की विदेशी मदिरा को प्रदेश के बाहर से आयात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के बाहर के विदेशी मदिरा के निर्माता विदेशी मदिरा के केवल अपनी आसवनी के विदेशी मदिरा के ब्रान्डस ही उत्तरांचल स्थित अपने बाण्ड लाईसेन्सों के माध्यम से उत्तरांचल में बेच सकेंगे। यदि कोई निर्माता किसी अन्य आसवनी/निर्माता के ब्रान्डस की बाटलिंग अपनी ईकाई में करता है तो दूसरे विनिर्माता के इन ब्रान्डस को अपने बाण्ड से बेचने की अनुमति ऐसे बाण्ड धारक निर्माता को नहीं दी जायेगी। इसके लिये उत्पादकवार अलग से बाण्ड लाईसेन्स लेना होगा।

इस नीति के अनुसार एक बाण्ड लाईसेन्स के अन्तर्गत केवल एक उत्पादक के ब्रान्डस ही बेचे जा सकेंगे। अतः बाण्ड लाईसेन्सों से बेची जाने वाली मदिरा के सभी ब्रान्डस को चैक करके यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि एक बाण्ड पर एक उत्पादक के ही विदेशी मदिरा/बियर के ब्रान्डस ही बेचे जा रहे हैं। यदि एक बाण्ड पर दो उत्पादकों के ब्रान्डस बेचे जा रहे हो तो दूसरे उत्पादक के ब्राण्ड हेतु अतिरिक्त लाईसेन्स फीस जमा कराकर प्रकरण को मुख्यालय सन्दर्भित किया जाये। इसके अतिरिक्त ब्राण्ड लाईसेन्सों से 22/– रूपये प्रति बोतल ई0डी0पी0 तक की मदिरा वर्ष 2006–07 में नहीं बेची जा सकेगी। अतः मदिरा के आयात हेतु परमिट जारी करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये।

एफ0एल0–2 से मदिरा की निकासी के समय लिये जाने वाले प्रति बोतल न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशियों में भी परितर्वन किये गये हैं जो निम्नानुसार हैंः–

बार अनुज्ञापन के फलस्वरूप दी जाने वाली विदेशी मदिरा की निकासी पर ड्यूटी की दर निम्नानुसार होगीः–

1. रू0 22.00 प्रति बोतल तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 55.00
2. रू0 22.01 से रू0 35.00 तक प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 65.00
3. रू0 35.01 या उससे अधिक बोतल प्रति आसवनी मूल्य पर	रू0 80.00

इस प्रकार विदेशी मदिरा की फुटकर अनुज्ञापियों को दी जाने वाली निकासी पर निम्नानुसार प्रति बोतल न्यूनतम गारन्टीड अभिकर देय होगाः–

1.रू0 22.00 प्रति बोतल तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 55.00

2.रू0 22.01 से रू0 35.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 65.00

3. रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 75.00

4. रू0 55.01 से रू0 75.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 85.00

5. रू0 75.01 से रू0 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 100.00

6 रू0 150.01 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 110.00

एफ0एल0–2 अनुज्ञापियों की लाईसेन्स फीस को विभिन्न जनपदों की विदेशी मदिरा की बिक्री के अनुसार निम्नानुसार पुनः निर्धारित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

कमांक	जनपद का नाम	एफ0एल0–2 की लाईसेंस फीस (रूपये में)	कमांक	जनपद का नाम	एफ0एल0–2 की लाईसेंस फीस
1	देहरादून	46,87,500/–	8	उ0सिंह नगर	14,75,000/–
2	पौड़ी गढ़वाल	27,00,000/–	9	अल्मोड़ा	17,50,000/–
3	टिहरी गढ़वाल	16,50,000/–	10	पिथौरागढ़	15,00,000/–
4	उत्तरकाशी	8,25,000/–	11	बागेश्वर	6,25,000/–
5	चमोली	19,25,000/–	12	चम्पावत	6,50,000/–
6	रूद्रप्रयाग	7,50,000/–	13	हरिद्वार	17,00,000/–
7	नैनीताल	36,00,000/–			

वर्ष 2006–07 हेतु एफ0एल0–2 की लाईसेन्स फीस उपरोक्तानुसार जमा करायी जाये।

भवदीय

(नवीन चन्द्र शर्मा)
आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल।

संख्याः5554–66/सात–लाईसेन्स–12/व्यवस्थापन/2006–07
प्रतिलिपिः– समस्त जिला आबकारी अधिकारी उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(नवीन चन्द्र शर्मा)
आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल।

संख्याः 5567–79 / सात–लाईसेंस–12 / थोक बिकी / वि0म0 / 2006–2007,

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

देहरादून दिनांक मार्च 08, 2006

विषय :– वर्ष 2006–2007 के लिए (उत्पाद शुल्क जमा करने के उपरान्त) विदेशी मदिरा व बियर की थोक बिक्री लाईसेंसो (एफ0एल0–2) की व्यवस्था।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2006–2007 में पूर्ण अथवा आंशिक अवधि के लिए विदेशी मदिरा की थोक बिकी के अनुज्ञापन एफ0एल0–2 की लाईसेंस फीस निम्न प्रकार निर्धारित की गई है:–

कमांक	जनपद का नाम	एफ0एल0–2 की लाईसेंस फीस (रूपये में)	कमांक	जनपद का नाम	एफ0एल0–2 की लाईसेंस फीस
1	देहरादून	46,87,500 / –	8	उ0सिंह नगर	14,75,000 / –
2	पौड़ी गढ़वाल	27,00,000 / –	9	अल्मोड़ा	17,50,000 / –
3	टिहरी गढ़वाल	16,50,000 / –	10	पिथौरागढ़	15,00,000 / –
4	उत्तरकाशी	8,25,000 / –	11	बागेश्वर	6,25,000 / –
5	चमोली	19,25,000 / –	12	चम्पावत	6,50,000 / –
6	रूद्रप्रयाग	7,50,000 / –	13	हरिद्वार	17,00,000 / –
7	नैनीताल	36,00,000 / –			

उपरोक्तानुसार देय लाइसेंस फीस का 1 / 6 भाग अग्रिम जमा करना होगा व शेष लाईसेंस फीस मासिक किस्तों में निम्न प्रकार जमा की जायेगी :–

1 / 12 भाग 7 अप्रैल 2006 तक	1 / 12 भाग 7 जुलाई 2006 तक	1 / 12 भाग 7 अक्टूबर 2006 तक	1 / 12 भाग 7 जनवरी 2007 तक
1 / 12 भाग 7 मई 2006 तक	1 / 12 भाग 7 अगस्त 2006 तक	1 / 12 भाग 7 नवम्बर 2006 तक	1 / 12 भाग 7 फरवरी 2007 तक
1 / 12 भाग 7 जून 2006 तक	1 / 12 भाग 7 सितम्बर 2006तक	1 / 12 भाग 7 दिसम्बर 2006 तक	1 / 12 भाग 7मार्च 2007 तक

यदि अनुज्ञापी नियमानुसार निर्धारित तिथि तक राजस्व का भुगतान करने में असफल रहता है, तो लाईसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापी पर पेनाल्टी लगायी जायेगी,

जो अनुज्ञापी पर बकाया राजस्व पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय ब्याज की गणना करने के उपरान्त प्रतिदिन देय ब्याज की राशि के बराबर होगी।

यदि अनुज्ञापी के विरूद्ध सरकारी राजस्व की कोई देयता न हो तो अग्रिम फीस की राशि क्रमशः फरवरी व मार्च माह में देय लाईसेंस फीस के विरूद्ध समायोजित कर ली जायेगी।

1. शासन के निर्णयानुसार विदेशी मदिरा के थोक बिक्री हेतु अनुज्ञापन एफ0एल0–2 पूर्ववत गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुंमाऊँ मण्डल विकास निगम को आवेदन करने पर दिये जायेंगें। व्यापार में प्रतिस्पर्धा एवं अबाध आपूर्ति बनाये रखने के लिए पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, उत्तरांचल को भी उनके द्वारा आवेदन करने पर विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञापन दिये जायेंगें । आबकारी आयुक्त द्वारा अनुज्ञापन के निर्गमन के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लिया जायेगा । एफ0एल0–2 अनुज्ञापन के स्तर से लिये जाने वाला लाभांश गत वर्ष आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

2. एफ0एल0–2 अनुज्ञापन (ड्यूटी पेड विदेशी मदिरा तथा बियर के थोक बिक्री अनुज्ञापन) वित्तीय वर्ष में कभी भी दिये जा सकते हैं, जो उक्त वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो जायेंगे ।

3. प्रपत्र एफ0एल0–2 में लाईसेंस जिलेवार गढ़वाल मंडल के जनपदो हेतु गढ़वाल मंडल विकास निगम एवं कुमायुं मंडल के जनपदो हेतु कुमायुं मंडल विकास निगम को दिये जायेगे, परन्तु पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, उत्तरांचल के द्वारा राज्य के किसी भी जनपद में उनके द्वारा आवेदन करने पर अनुज्ञापन स्वीकृत किये जा सकते हैं । गढ़वाल व कुमाऊं मंडल विकास निगमों को क्रमशः गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के प्रत्येक जनपद में एफ0एल0–2 खोलना अनिवार्य होगा।

4. आवेदक के पास एफ0एल0–2 अनुज्ञापन हेतु प्रस्तावित परिसर होना चाहिए, जो अनुज्ञापन निर्गत किये जाने से पूर्व जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो ।

5. अनुज्ञापन निर्गत होने से पूर्व अनुज्ञापी को निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क तथा उसके साथ ही एफ0एल0–2 अनुज्ञापन हेतु रू0 50,000/–(पचास हजार रूपये प्रत्येक जनपद के लिए अलग–अलग) की प्रतिभूति अतिरिक्त रूप से जिलाधिकारी को प्रतिश्रुत करके जमा करनी होगी। यह प्रतिभूति शिडयूल्ड बैंक के सावधि जमा रसीद अथवा अल्प बचत प्रमाण–पत्र अथवा पोस्ट आफिस सेविंग बैंक खाते की पास बुक के रूप में जमा की जा सकती है। प्रतिभूति की राशि अनुज्ञापन की अवधि समाप्त होने के उपरान्त यदि अनुज्ञापी के विरूद्ध आबकारी राजस्व की कोई देयता न हो तो, अनुज्ञापी को वापस कर दी जायेगी।

6. जिला आबकारी अधिकारी एफ0एल0–2 अनुज्ञापन हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्र की समुचित जांच के उपरान्त, सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे एवं जिलाधिकारी, आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त करके आवेदक को उपरोक्तानुसार अनुज्ञापन स्वीकृत करेंगे।

7. प्रपत्र एफ0एल0–2 में लाईसेंस धारण करने वाला लाईसेंसधारी केवल उस जिले की सीमाओं के भीतर, जिसके लिए लाईसेंस दिया गया है, विदेशी मदिरा/बियर की बिक्री करेगा।

किन्तु संयुक्त आबकारी आयुक्त, मुख्यालय, उत्तरांचल की अनुमति से विदेशी मदिरा व बियर के बार अनुज्ञापियों व क्लब बार परमिटधारको को उत्तरांचल प्रदेश के किसी अन्य एफ0एल0–2 अनुज्ञापी से भी विदेशी मदिरा/बियर क्रय करने की छूट होगी।

8. एफ0एल0–2 अनुज्ञापी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अनुज्ञापित परिसर में बेची जाने वाली समस्त विदेशी मदिरा/बियर का नाम तथा मूल्य की एक सूची आबकारी आयुक्त के पास भेजेगें और बिना आबकारी आयुक्त की अनुमति के वित्तीय वर्ष में मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे।

9. अनुज्ञापी के लिए अनिवार्य होगा कि वह ब्राण्ड लिस्ट तथा रेट लिस्ट अपने अनुज्ञापित परिसर पर इस प्रकार प्रदर्शित करें, कि प्रत्येक ग्राहक उसे देख सके।

10. अनुज्ञापी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह जनपद के विदेशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञापियों/बार अनुज्ञापियों तथा क्लबपरमिट धारकों से मदिरा/बियर के एच्छिक ब्राण्डों एवं उनकी मात्रा विषयक तिथिवार विवरण प्राप्त मांग पत्रों को एक पंजी में अंकित करेगा और प्रथम आवक, प्रथम पावक के सिद्धान्त पर सम्बंधित अनुज्ञापी को निकासी देगा ।

11. किसी जनपद के एफ0एल0–2 में मदिरा/बियर के किसी ब्राण्ड की अनुपलब्धता होने पर केवल उस ब्राण्ड की आपूर्ति प्रदेश के अन्य एफ0एल0–2 या आसवनी या बी0डब्लू0एफ0एल0–2 या बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी से विशेष परिस्थितियों में संयुक्त आबकारी आयुक्त, मुख्यालय उत्तरांचल की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करके उस जनपद के एफ0एल0–5डी अनुज्ञापियों को की जा सकेगी।

12. यदि किसी कारण से किसी जनपद में एफ0एल0–2 अनुज्ञापन के व्यवस्थापन में विलम्ब होता है, तो जिला आबकारी अधिकारी की संस्तुति पर मुख्यालय के संयुक्त आबकारी आयुक्त उस जनपद के एफ0एल0–5डी अनुज्ञापियों को प्रदेश के किसी अन्य जनपद के एफ0एल0–2 अनुज्ञापन से विदेशी मदिरा और बियर लेने की अस्थायी अनुमति दे देंगे, जो उक्त एफ0एल0–2 अनुज्ञापन निर्गत होते ही स्वतः समाप्त हो जायेगी।

13. एफ0एल0–2 अनुज्ञापी आई0एम0एफ0एल0 पर 55/– रूपये प्रति ए0एल0 व 5 प्रतिशत वी/वी तक अल्कोहल वाली तथा 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक परन्तु 8 प्रतिशत वी/वी तक अल्कोहल वाली बियर पर क्रमशः 11.55 रूपये तथा 23.10 रूपये प्रति बल्क लीटर उत्पाद शुल्क जमा करने के उपरान्त एफ0एल0–1 या बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2/ बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2बी से विदेशी मदिरा व बियर प्राप्त कर सकेंगे। मदिरा एवं बियर के प्रत्येक लेबिल पर 'फार सेल इन उत्तरांचल ओनली' छपा होना आवश्यक रूप से अनिवार्य होगा। एफ0एल0–2 से बेची जाने वाली विदेशी मदिरा की प्रत्येक बोतल/अद्धा/पौवा तथा बियर की प्रत्येक बोतल/केन पर आबकारी विभाग का नम्बरयुक्त होलोग्राम लगा होना अनिवार्य है।

14. जिला आबकारी अधिकारी अपने जनपद में स्थित विदेशी मदिरा की एफ0एल0–5डी दुकानों की निर्धारित वार्षिक गारंटीड डयूटी जमा होने के मासिक विवरण का अप–टू–डेट रिकार्ड एक रजिस्टर में रखेगे जिसका प्रोफार्मा निम्न प्रकार होगा :–

1) दुकान का नाम ––   दुकान की चौहद्दी
(2) अनुज्ञापी का नाम ––

पूर्व –
पश्चिम –
उत्तर –
दक्षिण –

क्रमांक	माह का नाम	माह में देय वार्षिक गारन्टीड डयूटी /ड्यूटी की राशि	राशि जमा होने का विवरण		विदेशी मदिरा एफ0एल0–2 से मदिरा लेने हेतु जारी आदेश की संख्या व दिनांक	विदेशी मदिरा की मात्रा		जिला आबकारी अधिकारी के हस्ताक्षर
			ट्रेजरी चालान सं0	दिनांक		ड्यूटी की श्रेणी के अनुसार संख्या	येाग बोतलों में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अप्रैल							
2	मई							
3	जून							
4	जुलाई							
5	अगस्त							
6	सितम्बर							
7	अक्टूबर							
8	नवम्बर							
9	दिसम्बर							
10	जनवरी							
11	फरवरी							
12	मार्च							

प्रत्येक माह में उस माह के लिए निर्धारित वार्षिक गारंटीड डयूटी की राशि से अधिक तथा बार अनुज्ञापियों/क्लब बार परमिटधारकों के मामले में 20,000 बोतल की वार्षिक सीमा से अधिक (जिस पर आबकारी आयुक्त के निर्देशों के अनुसार निर्धारित ड्युटी की बढ़ी दर से अतिरिक्त राशि जमा करानी होगी) निकासी का विवरण एक रजिस्टर में निम्न प्रारूप में रखा जायेगाः–

क्रमांक	माह का नाम	जमा राशि का विवरण ट्रेजरी चालान सं0 व दिनांक सहित	बोतलो की संख्या		जिला आबकारी अधिकारी के आदेश सं0 व दिनांक	जिला आबकारी अधिकारी के हस्ताक्षर
			ड्यूटी की श्रेणी के अनुसार संख्या	योग बोतलों में		
1	2	3	4	5	6	7
1	अप्रैल					
2	मई					
3	जून					
4	जुलाई					
5	अगस्त					
6	सितम्बर					
7	अक्टूबर					
8	नवम्बर					
9	दिसम्बर					
10	जनवरी					
11	फरवरी					
12	मार्च					

15.एफ0एल0–5डी अनुज्ञापी द्वारा माह के लिए निर्धारित वार्षिक गारंटी डयुटी की राशि जमा कर देने पर एफ0एल0–5डी अनुज्ञापी के प्रार्थना–पत्र पर जिला आबकारी अधिकारी इस राशि के विपरीत विदेशी मदिरा की निकासी के आदेश ब्राण्डवार जारी करेंगे। विदेशी मदिरा की निकासी हेतु मासिक गारंटी डयूटी के विपरीत विभिन्न ब्राण्ड्स की बोतलो की संख्या का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा :–

<u>प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य</u>	<u>अभिकर प्रतिबोतल</u> (1 बोतल = 2 अद्धा = 4 पौवा)
1.रू0 22.00 प्रति बोतल तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 55.00
2.रू0 22.01 से रू0 35.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 65.00
3. रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 75.00
4. रू0 55.01 से रू0 75.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 85.00
5. रू0 75.01 से रू0 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 100.00
6 रू0 150.01 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 110.00

बियर के लिए अलग से कोई मासिक गारण्टी ड्यूटी नहीं देनी होगी।

बोतलो की संख्या निकालने हेतु गणना निम्न प्रकार की जायेगीः–

माना 55/–	रू0 अभिकर	की	बोतलों	की	संख्या	= क
65/–	"	"	"	"	"	= ख
75/–	"	"	"	"	"	= ग
85/–	"	"	"	"	"	= घ
100/–	"	"	"	"	"	= च
110/–	"	"	"	"	"	= छ

वार्षिक गारंटी ड्यूटी की मासिक राशि = (55 X क) + (65 X ख) + (75 X ग) + (85 X घ) + (100 X च) + (110 X छ)

16.बार अनुज्ञापियों व क्लब परमिटधारकों को एफ0एल0–2 से बेची जाने वाली विदेशी मदिरा की प्रत्येक बोतल पर निम्नानुसार प्रति बोतल न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की राशि देय होगीः–

1. रू0 22.00 प्रति बोतल तक एक्स आसवनी मूल्य पर — रू0 55.00
2. रू0 22.01या उससे अधिक रू0 35.00 तक प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर — रू0 65.00
3. रू0 35.01 या उससे अधिक प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर — रू0 80.00

जिला आबकारी अधिकारी यह धन अग्रिम जमा कराने के उपरान्त बार अनुज्ञापियों व क्लब परमिटधारकों को निकासी के आदेश जारी करेंगें, जिसके उपरान्त ही एफ0एल0–2/एफ0एल0–2बी अनुज्ञापी बार अनुज्ञापियों व क्लबबार परमिटधारकों को विदेशी मदिरा की निकासी देंगें। बार अनुज्ञापी एक वर्ष की अवधि के दौरान उपरोक्त प्रति बोतल न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की दर पर एफ0एल0–2 से 20,000 (बीस हजार) बोतल तक की निकासी प्राप्त कर सकेगें। यह संख्या वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने अर्थात दिनांक 01.04.2006 से गिनी जायेगी। इससे अधिक बोतलों की एफ0एल0–2 से निकासी होने पर बोतलों की प्रत्येक 10 प्रतिशत वृद्धि के लिए रू0 5/– प्रति बोतल की बढ़ी दर से अतिरिक्त ड्यूटी की राशि का भुगतान बार अनुज्ञापियों/क्लब बार परमिटधारकों को करना होगा।

17. एफ0एल0–2 में मदिरा के गोदाम पर दो ताले लगाये जायेगे, जिनमें से एक की चाबी अनुज्ञापी के पास व दूसरे की चाबी क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, जिनके क्षेत्र में एफ0एल0–2 स्थित होगा, के पास रहेगी। जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त आदेश के अनुसार निरीक्षक द्वारा एफ0एल0–2 से मदिरा की निकासी एफ0एल0–5डी व बार अनुज्ञापियों तथा क्लब बार परमिटधारकों को दी जायेगी। एफ0एल0–5डी व बार अनुज्ञापी अपनी पसंद के अनुसार विदेशी मदिरा के ब्राण्ड्स ले सकेंगे। जिला आबकारी अधिकारी के निकासी आदेश में जमा राशि व ब्राण्डवार मदिरा की मात्रा का उल्लेख होगा। बियर की निकासी के लिए जिला आबकारी अधिकारी के आदेश की आवश्यकता नहीं होगी व बियर के स्टॉक पर केवल अनुज्ञापी का ताला रहेगा।

18. जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निकासी हेतु आदेश निम्न प्रारूप में जारी किया जायेगा :–

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जनपद ....

<u>क्र0सं0</u> <u>दिनांक</u>

एफ0एल0–2 अनुज्ञापी का नाम ....

एफ0एल0–5डी अनुज्ञापी .... द्वारा माह ....वर्ष .... हेतु/अथवा माह .... वर्ष .... में निर्धारित वार्षिक गारन्टीड ड्यूटी की मासिक राशि से अधिक राशि निम्न प्रकार जमा की गई है :–

1. प्रारम्भिक अवशेष ....
2. जमा राशि ....
(ट्रेजरी चालान सं0............
व दिनांक ....)
3. योग ....

इन्हे निम्नानुसार विदेशी मदिरा की निकासी दे दी जाये :–

4.प्रतिबोतल न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की राशि	बोतलों की संख्या	कुल ड्यूटी की राशि
55/– रू0 प्रति बोतल		
65/– रू0 प्रति बोतल		

75/– रू0 प्रति बोतल
85/– रू0 प्रति बोतल
100/– रू0 प्रति बोतल
110/– रू0 प्रति बोतल

योग ––

---

5. न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की शेष राशि ....
(कालम 3– 4)

जिला आबकारी अधिकारी
जनपद........................

यह आदेश जारी करने हेतु उपरोक्त प्रपत्र की किताब छपवाई जायेगी, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर नम्बर छपे होंगे। आदेश की मूल प्रति आवेदनकर्ता को दी जायेगी व कार्बन प्रति कार्यालय में अनुरक्षित की जायेगी।

आवेदनकर्ता द्वारा उक्त आदेश की मूल प्रति एफ0एल0–2 के इंचार्ज आबकारी निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करने पर निरीक्षक द्वारा एफ0एल0–2 से मदिरा की निकासी दे दी जायेगी। निकासी आदेश पर, ''निरस्त'' की मोहर व अपने हस्ताक्षर (सतिथि) करने के उपरान्त अपने पदनाम की मोहर लगाकर आबकारी निरीक्षक इसे अपने कार्यालय में अनुरक्षित करेंगे।

एफ0एल0–5डी, बार अनुज्ञापी व क्लबबार परमिटधारक निम्न प्रारूप में निकासी की पास बुक अनुरक्षित करेंगे :–

1) दुकान का नाम ––

(2) अनुज्ञापी का नाम ––

दुकान की चौहद्दी
- पूर्व –
- पश्चिम –
- उत्तर –
- दक्षिण –

क्रमांक	माह का नाम	माह में देय वार्षिक गारन्टीड डयूटी की राशि	राशि जमा होने का विवरण		विदेशी मदिरा एफ0एल0–2 से मदिरा लेने हेतु जारी आदेश की संख्या व दि0	मदिरा की मात्रा		आबकारी निरीक्षक के हस्ताक्षर
			ट्रेजरी चालान सं0	दिनांक		ड्यूटी की श्रेणी के अनुसार	योग बोतलों में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अप्रैल							
2	मई							
3	जून							
4	जुलाई							
5	अगस्त							
6	सितम्बर							
7	अक्टूबर							
8	नवम्बर							
9	दिसम्बर							
10	जनवरी							
11	फरवरी							
12	मार्च							

प्रत्येक माह में वार्षिक गारंटीड डयूटी की राशि से अधिक निकासी का विवरण निम्न प्रारूप में पास बुक में रखा जायेगा :–

क्रमांक	माह का नाम	जमा राशि का विवरण ट्रेजरी चालान सं0 व दिनांक सहित	बोतलो की संख्या		जिला आबकारी अधिकारी के आदेश सं0 व दिनांक	जिला आबकारी अधिकारी के हस्ताक्षर
			ड्यूटी की श्रेणी के अनुसार	योग		
1	2	3	4	5	6	7
1	अप्रैल					
2	मई					
3	जून					
4	जुलाई					

5	अगस्त					
6	सितम्बर					
7	अक्टूबर					
8	नवम्बर					
9	दिसम्बर					
10	जनवरी					
11	फरवरी					
12	मार्च					

17. एफ0एल0–5डी अनुज्ञापी द्वारा किसी माह के लिए निर्धारित मासिक गारन्टीड ड्यूटी से अधिक विदेशी मदिरा की निकासी पर तथा बार अनुज्ञापियों एवं क्लब बार परमिटधारकों के लिए निर्धारित वार्षिक सीमा से अधिक निकासी पर इन अनुज्ञापियो/परमिटधारकों को आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुसार प्रति बोतल बढ़ी दर से अतिरिक्त ड्यूटी देनी होगी, जिसके जमा होने के बाद व जिला आबकारी अधिकारी से निकासी आदेश मिल जाने के उपरान्त ही, विदेशी मदिरा की निकासी इन अनुज्ञापियों को एफ0एल0–2 से प्राप्त हो सकेगी।

18. एफ0एल0–2 पर विदेशी मदिरा एवं बियर की खरीद हेतु एक्स आसवनी एवं एक्स ब्रीवरी मूल्यों का निर्धारण इस सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति व इस संस्तुति के आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदन के उपरान्त किया जा सकेगा एवं इन्ही मूल्यों के आधार पर एफ0एल0–2 से मदिरा/बियर की निकासी फुटकर अनुज्ञापियों को दी जायेगी।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र शर्मा)
आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

संख्या:5580–5638/सात–लाईसेंस–12/थोकबिक्री/वि0म0/2006–2007/तददिनांक,
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, आबकारी, उत्तरांचल शासन, आबकारी विभाग, सचिवालय, देहरादून।

2. समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय, उत्तरांचल।
3. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरांचल।
4. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन, उत्तरांचल।
5. समस्त आबकारी निरीक्षक, अपराध निरोधक क्षेत्र/प्रवर्तन दल, उत्तरांचल।

(नवीन चन्द्र शर्मा)
आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

उत्तरांचल शासन

आबकारी विभाग

संख्याः401/XXIII/2006/115/2005

देहरादूनः दिनांकः 13, मार्च, 2006

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1904) (समय-समय पर यथा संशोधित एवं उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) (समय-समय पर यथा संशोधित एवं उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) (दसवाँ संशोधन) नियमावली, 2006

1.संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ — (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) (दसवाँ संशोधन) नियमावली, 2006 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम 6 का संशोधनः- उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 6 का खण्ड (ख) निम्नवत् संशोधित कर दिया जायेगा ; अर्थात्-

(6) (ख) लाईसेन्स शुल्क और सुरक्षा जमा

" एक माह की न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि के बराबर की राशि राजकोष में ब्याज रहित प्रतिभूति के रूप में दुकान के व्यवस्थापन की तिथि से सात दिन के भीतर संदाय की जायेगी और एक माह के बराबर की राशि या अनुसूचित बैंक अथवा उत्तरांचल राज्य के सहकारी बैंक लिमिटेड या जिला सहकारी बैंक लिमिटेड से आबकारी आयुक्त या जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में सभी दावे और अवशेष अन्तिम व्यवस्थापन तक विधिमान्य राज्य सरकार के सन्दर्भ में व्यवस्थापित दुकान की प्रतिभूति के रूप में दुकान की व्यवस्थापन की तारीख से एक माह के भीतर प्रतिभूति के रूप में संदाय की जायेगी"

3. नियम 8 (ञ) का मूल नियमावली के नियम 8 का खण्ड (ञ) निम्नवत् संशोधन

संशोधन

कर दिया जायेगा ; अर्थात्–

8 (ञ) आवेदकों के लिए योग्यता शर्ते

"यह कि जिला आबकारी अधिकारी अथवा आबकारी आयुक्त के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक अथवा उत्तरांचल राज्य के सहकारी बैंक लिमिटेड या जिला सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा जारी किया गया बैंक ड्राफ्ट धरोहर राशि के रूप में प्रस्तुत करेगा। धरोहर धनराशि लाईसेंस फीस की 10 प्रतिशत होगी अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी। आवेदक के अनुज्ञापी के रूप में चयन हो जाने पर धरोहर राशि के अनुज्ञापन फीस में समायोजित कर लिया जायेगा। अन्य मामलों मे, चयन प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त इसे उसी रूप में आवेदक को लौटा दिया जायेगा। अनुज्ञापी को दुकान आवंटन के तीन माह के भीतर अपने जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त ऐसे मूल्य का जो आबकारी आयुक्त द्वारा शासन के निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाये, संशोधन क्षमता (सालवेंसी) प्रमाण–पत्र अनुज्ञापी को दुकान आवंटन के तीस दिन के भीतर अपने जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र भी अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।"

4. नियम 12 का संशोधन

मूल नियमावली के नियम 12 निम्नवत् संशोधित कर दिया जायेगा; अर्थात्–

12. लाईसेन्स शुल्क और सुरक्षा राशि का भुगतान

"यदि आवेदक लाईसेन्सधारी के रूप में चुना जाता है तो उसको तुरन्त अनुज्ञापि शुल्क (लाईसेंस शुल्क) की सम्पूर्ण धनराशि दुकान के आवंटन के पश्चात् जमा करनी होगी एवं प्रतिभूति राशि जो कि कम से कम एक महिने की न्यूनतम गारण्टी शुल्क के रूप में होगी, सात दिन के अन्दर नगद किसी भी अनुसूचित बैंक अथवा उत्तरांचल राज्य के सहकारी बैंक लिमिटेड या जिला सहकारी लिमिटेड बैंकों में से कम से कम एक महिने की गारण्टी शुल्क आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के नाम बनाया जायेगा एवं इसकी वैधिकता सम्बन्धी दुकानों के समस्त दावे के अन्तिम समाधान एवं राज्य सरकार के समस्त दावों का जो कि दुकानों के सम्बन्ध में है एवं जिसका विवरण नियम 6 (ख) के अनुसार है, होगी।

यदि आवेदक लाईसेंस शुल्क, सुरक्षा धनराशि, बैंक गारण्टी इत्यादि को निर्धारित अवधि के अन्दर जमा करन मे असफल रहता है, तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवेदक द्वारा जमा की गई अग्रिम धनराशि, लाईसेंस शुल्क एवं सुरक्षा धनराशि (यदि कोई हो तो राज्य सरकार के पक्ष में) जब्त कर दी जायेगी एवं खाली दुकान का पूर्ण आवंटन किया जायेगा। बकायेदार लाईसेंसी को भविष्य में राज्य के अन्दर, कोई

आबकारी लाईसेंस को देने से रोक दिया जायेगा। ऐसे समस्त बकायेदार लाईसेंसी की एक समय की सूची नियम 6 (ख) के अधीन, जिला आबकारी अधिकारी द्वारा उनकी सम्पूर्ण पते सहित तैयार कर आबकारी आयुक्त को प्रेषित की जायेगीद्व जिसे आबकारी आयुक्त द्वारा सम्पूर्ण राज्य के लाईसेंसिंग प्राधिकारियों को सूचित किया जायेगा।''

(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव।

संख्याः 401 (1)/XXIII/2006 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल शासन।
2. निजी सचिव मा0 आबकारी मंत्रीजी को मा0 मत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. आबकारी आयुक्त उत्तरांचल शासन देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
8. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को अधिसूचना के प्रति इस आशय से कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन उत्तरांचल शासन के असाधारण गजट के दिनांक 13 मार्च, 2006 के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–क में मुद्रित कराते हुए इसकी 100 प्रतियां सचिव, आबकारी विभाग उत्तरांचल शासन देहरादून को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(जी बी ओली)
संयुक्त सचिव

Government of Uttaranchal

Department of Excise

No.: 401/XXIII/2005/115/2005

Dehradun:Dated: 13, March, 2006

Notification

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by section 40 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act No. IV of 1910), (As amended from time to time and as applicable to the State of Uttaranchal), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (As Amended from time to time and as applicable in the State of Uttaranchal), the Governer is pleased to make the following rules further to amend in the Uttaranchal Excise (Settlement of Licence for Retail Sale of Foreign Liquor & Beer) Rules] 2001.

The Uttaranchal Excise (Settlement of Licence for Retail Sale of Foreign Liquor & Beer) (Tenth Amendment) Rules, 2006.

1. Short Title and Commencement

(i) These Rules may be called the Uttaranchal Excise (Settlement of Licence for Retail Sale of Foreign Liquor & Beer) (Tenth Amendment) Rules, 2006.

(ii) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of Rule 6:-

Clause (b) of Rule 9 of the Uttaranchal Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Foreign Liquor and Beer) Rules, 2001 (here in after referred to as principal Rules), shall be amended as follows, namely-

"(6) Licence Fee and Security Deposit

(b) A sum equal to one month's, monthly Minimum Guaranteed Duty in cash to be deposited in Government Treasury as interest free security deposit shall be payable within secven days from the date of settlement of the shop and a cash or Bank Guarantee

-2- of amount equal to one month's Minimum Guaranteed Duty from a Scheduled Bank or Uttaranchal State Co-operative Banks and District Co-operative Banks in favour of Excise Commissioner or District Excise Officer, Valid till the final settlement of all the claims and dues to the state Government in respect of the settled shop shall be payable as security deposit, within one month from the date of settlement of shop"

3. Amendment of Rule 8 (c):- Clause (e) of Rule 8 of the principal Rules shal be amended as follows, namely:-

" (8) (e) Eligiblity Conditions for Applicants:

He will furnish a band draft drawn in favour of the Excise Commissioner or the District Excise Officer issued from a Scheduled Bank or Uttaranchal State Co-operative Banks and District Co-operative Banks as earnest money. The amount of earnest money shall be fixed by the Excise Commissioner. In case the applicant is sellected as licensee, the earnest money shall be adjusted against the licence fee. In other cases it shall obe returned as such to the applicant as soon as selection process is over. The licensee shall have to deposit a solvency certificate of value prescribed of State Government, before the Licensing Authority within three months from the date of allotment of the shop. The licensee shall also have to deposit a character certificate issue by the Collector of his district, before the licensing authority within thirty days from the date of allotment of the shop.

4. Amendment of Rule 12:- Rule 12 of the principal Rules shall be amended as follows, namely:-

Payment of Licence Fee and Security Amount:-In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of licensce fee at once after the allotment of the shop, and the security amount equal to oone month's Minimum Guaranteed duty within seven

days and a cash or Bank Guarantee of amount equal to one month's Minimum Guaranteed Duty from a Scheduled Bank or Uttaranchal State Co-operative Banks and District Co-operative Banks in favour of Excise Commissioner or District Excise Officer, valid till the final settlemenht of all the claims and dues of the State Government in respect of the settled shop wiht in one month from the date of above. If he fails to deposit the amount of licence fee and security and Bank Guarantee, due within prescribed period, his selection/settlement shall stand cancelled and the earnest money, licence fee and security amount deposited, if andy, shall be for fitted in favour of the State Government and the vacant shop shall be resettled forthwith. The defaulter licensee shall be debarred from holding any Excise Licensee in future any where in the State. A consolidated list of such defaulter livensee under this rule, along with their vomoplete addresses shall be forwarded by District Excise Officer to the Excise Commissioner who will circulate the consolidated list of the state to all the licensing Authority of the State.

By order,

(Navin Chandra Sharma)
Secretary.

उत्तरांचल शासन

आबकारी विभाग

संख्याः402 / XXIII / 2006 / 115 / 2005

देहरादूनः दिनांकः 13, मार्च, 2006

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्याः1 वर्ष 1904) (समय–समय पर यथा संशोधित एवं उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्याः4 वर्ष 1910) (समय–समय पर यथा संशोधित एवं उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) (नवाँ संशोधन) नियमावली, 2006

1.संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भः– (1) इस नियमावली उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (नवाँ संशोधन) नियमावली, 2006 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2.नियम 6 का संशोधनः– उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (नियमावली, 2001 जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 6 के खण्ड (ख) को निम्नवत् संशोधित कर दिया जायेगा; अर्थात्–

''(6) (ख) लाईसेंस शुल्क और सुरक्षा जमाः–

''एक माह की न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि के बराबर की राशि राजकोष में ब्याज रहित प्रतिभूति के रूप में दुकान के व्यवस्थापन की तिथि से सात दिन के भीतर संदाय की जायेगी और एक माह के बराबर की राशि नगद अथवा बैंक गारन्टी जो किसी अनुसूचित बैंक अथवा उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 या जिला सहकारी बैंक लि0 से आबकारी आयुक्त या जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष मे सभी दावे और अवशेष अन्तिम व्यवस्थापन तक विधिमान्य राज्य सरकार के सन्दर्भ मे व्यवस्थापित दुकान की प्रतिभूति के रूप में दुकान की व्यवस्थापन की तारीख से एक माह के भीतर प्रतिभूति के रूप में संदाय की जायेगी।''

3. नियम 9 (ञ) का मूल नियमावली के नियम 9 का खण्ड (ञ) निम्नवत् संशोधित

संशोधनः— कर दिया जायेगा; अर्थात्—

"9 (ञ) आवेदकों के लिए योग्यता शर्तेः—

यह कि जिला आबकारी अधिकारी अथवा आबकारी आयुक्त के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक अथवा उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 या जिला सहकारी बैंक लि0 द्वारा जारी किया गया बैंक ड्राफ्ट धरोहर धनराशि के रूप में प्रस्तुत करेगा। धरोहर धनराशि लाईसेंस फीस की 10 प्रतिशत होगी अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी। आवेदक के अनुज्ञापी के रूप में चयन हो जाने पर धरोहर धनराशि के अनुज्ञापन फीस में समायोजित कर लिया जायेगा। अन्य मामलों में, चयन प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त इसे उसी रूप में आवेदक को लौटा दिया जायेगा। अनुज्ञापी को दुकान आवंटन के तीन माह के भीतर अपने जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त ऐसे मूल्य का जो आबकारी आयुक्त द्वारा शासन के निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाये, संशोधन क्षमता (सालवेंसी) प्रमाण—पत्र अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अनुज्ञापी को दुकान आवंटन के तीस दिन के भीतर अपने जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण—पत्र भी अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।"

4. नियम 13 का संशोधन — मूल नियमावली के नियम 13 निम्नवत् संशोधित कर दिया जायेगा; अर्थात्—

13. लाईसेंस शुल्क और सुरक्षा राशि का भुगतान

"यदि आवेदक लाईसेंसधारी के रूप में चुना जाता है तो उसके तुरन्त अनुज्ञप्ति शुल्क (लाईसेंस शुल्क) की सम्पूर्ण धनराशि दुकान के आवंटन के पश्चात् जमा करनी होगी एवं प्रतिभूति राशि जो कि कम से कम एक महिने की गारण्टी शुल्क के रूप में होगी, सात दिन के अन्दर नगद तथा एक माह की न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि के बराबर नगद या बैक गारन्टी के रूप में किसी भी अनुसूचित बैंक अथवा बैंक गारन्टी जो उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 या जिला सहकारी बैंक लि0 से आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के नाम बनायी जायेगी एवं इसकी वैधिकता सम्बन्धी दुकानों के समस्त दावे के अन्तिम समाधान एवं राज्य सरकार के समस्त दावों का जो कि दुकानों के सम्बन्ध में है एवं जिसका विवरण नियम 6 (ख) के अनुसार है, देय होगी। यदि आवेदक लाईसेंस शुल्क, सुरक्षा धनराशिद्व बैंक गारण्टी इत्यादि को निर्धारित अवधि के अन्दर जमा करने में असफल रहता है, तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवेदक द्वारा जमा की गई अग्रिम धनराशि, लाईसेंस शुल्क एवं सुरक्षा धनराशि (यदि कोई हो तो राज्य सरकार के पक्ष में) जब्त कर दी जायेगी एवं खाली दुकान का

पूर्ण आवंटन किया जायेगाा। बकायेदार लाईसेंसी को भविष्य में राज्य के अन्दर, कोई आबकारी बकायेदार लाईसेंसी की एक समय की सूची नियम 6 (ख) के अधीन, जिला आबकारी अधिकारी द्वारा उनकी सम्पूर्ण पते सहित तैयार कर आबकारी आयुक्त को प्रेषित की जायेगीद्व जिसे आबकारी आयुक्त द्वारा सम्पूर्ण राज्य के लाईसेंसिग प्राधिकारियों का सूचित किया जायेगा।''

(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव।

संख्या:402/(1)/XXIII/2006 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल शासन।
2. निजी सचिव मा0 आबकारी मंत्रीजी को मा0 मत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. आबकारी आयुक्त उत्तरांचल शासन देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
8. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को अधिसूचना के प्रति इस आशय से कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन उत्तरांचल शासन के असाधारण गजट के दिनांक 13 मार्च, 2006 के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–क में मुद्रित कराते हुए इसकी 100 प्रतियां सचिव, आबकारी विभाग उत्तरांचल शासन देहरादून को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(जी०बी०ओली)
संयुक्त सचिव

संख्याः440/XXIII/06/115/2005/

प्रेषक,

नवीन चन्द शर्मा
आबकारी आयुक्त
उत्तराचंल देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराचंल ।

देहरादून दिनांक : 18 मार्च, 2006

विषयः— वर्ष 2006—07 हेतु आबकारी नीति के कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, आबकारी उत्तराचंल शासन के पत्र संख्या 370/XXIII /06/115/2005/दिनांक 6.3.2006 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आगामी वर्ष के लिए घोषित आबकारी नीति के अनुरूप देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु कार्यकम निर्धारित कर आपको सूचित किया गया था।

उपरोक्त के संबंध में समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कतिपय जनपदों में मदिरा की दुकानों के आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ संलग्न बैंक ड्राफ्ट वर्ष 2006—07 की आबकारी नीति घोषित करने के काफी समय पूर्व के हैं। इस संबंध में सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों से भी स्थिति स्पष्ट की गयी और यह पाया गया कि प्राप्त आवेदन पत्रों में आबकारी नीति घोषित होने के पूर्व की तिथि के बैंक ड्राफ्ट लगाये गये हैं। उक्त स्थिति के फलस्वरूप आबकारी नीति के कियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता अपनाये जाने तथा सभी शंकाओं के निराकरण करने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे आवेदन जिनमें आबकारी नीति घोषित होने के पूर्व के बैंक ड्राफ्ट लगाये गये हैं, वे चाहें प्रदेश के बाहर के हों अथवा प्रदेश के अन्दर, ऐसे समस्त आवेदनों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाये। चूंकि मदिरा की दुकानों के आबंटन हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि 16 मार्च, 2006 निर्धारित की गयी थी अतः सभी आवदकों को समान अवसर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2006—2007 के लिए उत्तरांचल राज्य की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु पूर्व में निर्गत कार्यकम को संशोधित करते हुए निम्नवत् संशोधित कार्यकम निर्धारित किया जाता है।

1. दुकानों के आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की अन्तिम तिथि — 22 मार्च, 2006

2. लाटरी द्वारा प्रथम चरण में दुकानों का आबंटन	24 मार्च, 2006
3. प्रथम चरण में अवशेष दुकानों हेतु आवेदन आमंत्रित करने की तिथि	25 एवं 26 मार्च, 2006
4. लाटरी द्वारा द्वितीय चरण में दुकानों का आबंटन	27 मार्च, 2006
5. द्वितीय चरण में अवशेष दुकानों हेतु आवेदन आमंत्रित करने की तिथि	28 एवं 29 मार्च, 2006
6. लाटरी द्वारा तृतीय चरण में दुकानों का आबंटन	30 मार्च, 2006

अतः कृपया उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के अनुरूप वर्ष 2006–07 की आबकारी नीति घोषित होने के पूर्व की तिथि के बैंक ड्राफ्ट सहित ऐसे समस्त आवेदकों के आवेदनों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उपरोक्त संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दुकानों का व्यवस्थापन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

शासनादेश दिनांकः06 मार्च, 2006 में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंग।

भवदीय
(नवीन चन्द शर्मा)
सचिव

संख्याः440(1)/XXIII/06/115/2005/तद्दिनांक
प्रतिलिपिः– आबकारी आयुक्त को शासन के पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक 06 मार्च, 2006 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से भी सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें। साथ ही साथ प्रश्नगत प्रकरण में जांच कर, जांच आख्या प्रत्येक दशा में दिनांक 21 मार्च, 2006 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। शासनादेश दिनांक 06 मार्च, 2006 में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

आज्ञा से
(जी0बी0 औली)
संयुक्त सचिव

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

देहरादून, सोमवार, 10 अप्रैल,, 2006 ई0
चैत्र 20, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या– 72/सात लाई–1 टैक्स/30ए/देहरादून, 10 अप्रैल, 2006

विभिन्न मादक पदार्थो के विनिर्माणशालाओं तथा थोक एवं फुटकर बिकी के अनुज्ञापनों के लिए वर्ष 2006–07 की उत्तरांचल प्रदेश की लाईसेंसिंग प्रणाली के अन्तर्गत अनुज्ञापन शुल्क, उत्पाद शुल्क, निर्यात, आयात, एसेस्ड फीस आदि का संक्षिप्त विवरण:–

क0 सं0	मादक पदार्थ का नाम	लाईसेंस के प्रकार	लाईसेंस फीस की दर
1	2	3	4
	देषी मदिरा थोक बिकी प्रणाली	**थोक देषी मदिरा सप्लाई के सी0एल0–1 लाइसेंस।**	
		(क)10 लाख ब0ली0 तक देशी मदिरा सप्लाई वाले जनपद।	रू0 3,76,417/–
		(ख)10 लाख से अधिक किन्तु 20 लाख ब0ली0 तक देशी मदिरा सप्लाई वाले ज़नपद।	रू0 7,52,834/–
		(ग) 20 लाख से अधिक किन्तु 40 लाख ब0ली0 तक देशी मदिरा सप्लाई वाले जनपद।	रू0 12,54,723/–
		(घ) 40 लाख से अधिक किन्तु 60 लाख ब0ली0 तक देशी मदिरा सप्लाई वाले जनपद।	रू0 16,72,963/–
		(ड.) 60 लाख से अधिक किन्तु 80 लाख ब0ली0 तक देशी मदिरा सप्लाई वाले जनपद।	रू0 20,91,204/–
2.	विदेषी मदिरा थोक बिकी प्रणाली	1. बी0डब्लू0एफ0एल0–2(बाण्ड) (विदेशी मदिरा एवं बियर) प्रदेश के बाहर की आसवनियों के लिए	रू0 3,34,593/– (तीन लाख चौतीस हजार पांच सौ तिरानबे रूपये) प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए।

		2.बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी (बाण्ड)(केवल बियर) प्रदेश के बाहर की ब्रिवरीज के लिए	रू0 1,67,297 / –(एक लाख सड़सठ हजार दो सौ सत्तानवे रूपये)वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
		3.एफ0एल0–1 (प्रदेश की आसवनियों को स्वयं निर्मित विदेशी मदिरा एवं बियर एफ0एल0–2 को बेचने हेतु देय लाइसेंस)	रू0 83,649 / – (रू0 तिरासी हजार छ:सौ उन्नचास)वर्ष या वर्ष के भाग के लिए।
		4.एफ0एल0–2(ड्यूटी पेड विदेषी मदिरा एवं बियर की थोक बिकी लाईसेंस)	वार्षिक या वर्ष के किसी भाग के लिए
		1. देहरादून 2. पौड़ी गढ़वाल 3. टिहरी गढ़वाल 4. उत्तरकाशी 5. चमोली 6. रूद्रप्रयाग 7. नैनीताल 8. ऊधमसिंहनगर 9. अल्मोड़ा 10. पिथौरागढ़ 11. बागेश्वर 12. चम्पावत 13. हरिद्वार	रू0 46,87,500 / – रू0 27,00,000 / – रू0 16,50,000 / – रू0 8,25,000 / – रू0 19,25,000 / – रू0 7,50,000 / – रू0 36,00,000 / – रू0 14,75,000 / – रू0 17,50,000 / – रू0 15,00,000 / – रू0 6,25,000 / – रू0 6,50,000 / – रू0 17,00,000 / –
		5.एफ0एल0–2बी (केवल डियुटी पेड बियर की थोक बिकी लाइसेंस)	रू0 8,36,482 / – प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
		6. एफ0एल0–2ए (सैन्य इकाईयों को मदिरा एवं बियर की सप्लाई हेतु थोक बिकी लाइसेंस	रू0 3,307 / – प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए

3. पी0डी0–2 अनुज्ञापन (आसवनी में स्प्रिट के उत्पादन हेतु दिया जाने वाला रू0 25.0953 प्रति किलोलीटर अनुज्ञापन)

4. एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन (विदेषी मदिरा की बोतल भराई इकाई को दिया जाने वाला अनुज्ञापन)

प्रतिवर्ष 15 लाख मानक बोतलों से कम भराई तक।	रू0 8,36,482 / –वर्ष या वर्ष के भाग हेतु
प्रति वर्ष 15 लाख से अधिक परन्तु 20 लाख से कम बोतलों की भराई हेतु ।	रू0 16,72,963 / – वर्ष या वर्ष के भाग हेतु
प्रतिवर्ष 20 लाख से अधिक परन्तु 50 लाख तक बोतलों की भराई हेतु	रू0 25,09,444 / – वर्ष या वर्ष के भाग हेतु

5. देषी व विदेषी मदिरा की फुटकर दुकानों के लाईसेंस फीस के स्लैब के निर्धारण (सी0एल0–5सी व एफ0एल0–5डी)

देशी मदिरा

कं0 सं0	न्यूनतम गारन्टीड मात्रा बल्क लीटर	2005–06	2006–07(15% बढ़ोतरी के साथ पूर्णांक में (Rounded Figure)
1	0 से 12000तक	76,044	88,000
2	12001से 30000तक	1,52,088	1,75,000
3	30001से 60000तक	3,04,175	3,50,000
4	60001से 1,00,000तक	6,08,350	7,00,000
5	1,00,001 से 1,50,000तक	9,12,525	10,50,000
6	1,50,001 से 3,00,000तक	12,16,700	14,00,000
7	3,00,000 से अधिक	15,20,875	17,50,000

विदेशी मदिरा

कं0 सं0	न्यूनतम गारन्टीड मात्रा बोतल में	2005–06	2006–07(15% बढ़ोतरी के साथ पूर्णांक में (Rounded Figure)
1	0 से 6000तक	76,044	88,000
2	6001से 12,000तक	1,52,088	1,75,000
3	12,001से 25,000तक	3,04,175	3,50,000
4	25,001से 50,000तक	6,08,350	7,00,000
5	50,001 से 75,000तक	9,12,525	10,50,000
6	75,001 से 1,00,000तक	12,16,700	14,00,000
7	1,00,000 से अधिक	15,20,875	17,50,000

6 (अ) होटल एंण्ड रेस्टोरेन्ट बार

(1) तीन सितारा होटलों तक ।	2,00,000/– रूपये प्रतिवर्ष या वर्ष के भाग के लिए ।
(2) चार सितारा होटलों में स्थित बार ।	4,00,000/–रूपये वर्ष या वर्ष के भाग के लिए।
(3) पांच सितारा होटलों में स्थित बार ।	5,00,000/– रू0 प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
(4)सीजनल पर्यटकों हेतु छः माह के लिये दिये जाने वाले बार लाइसेंस तीन सितारा होटलों तक के स्तर के लिए	1,00,000/– रू0 प्रति सीजन अधिकतम छः माह हेतु ।

6 (ब) बियर बार अनुज्ञापन

(1) बियर बार अनुज्ञापन	20,000/–रू0 प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
(2)सीजनल पर्यटकों हेतु छः माह के लिये जाने वाले बियर बार लाइसेंस	10,000/–रू0प्रति सीजन अधिकतम छः माह हेतु ।

6 (स) क्लब बार परमिट

(1) ऐसे क्लब जहां सदस्यों की संख्या 100 तक हो	60,500/— रू0 प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
(2) ऐसे क्लब जहां सदस्यों की संख्या 101 से 500 तक हो	90,750/— रू0 प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
(3) ऐसे क्लब जहॉ सदस्यों की संख्या 500 से अधिक हो	1,21,000/—रू0 प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए

7. बार व क्लब बार लाईसेंस के अन्तर्गत बिक्री की जाने वाली विदेषी मदिरा पर ड्यूटी की दरः—

(अ) बार अनुज्ञापन के फलस्वरूप दी जाने वाली विदेशी मदिरा की निकासी पर ड्यूटी की दर निम्नानुसार होगीः—

1. रू0 22.00 प्रति बोतल तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 55.00
2. रू0 22.01 या उससे अधिक रू0 35.00 तक प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 65.00
3. रू0 35.01 या उससे अधिक प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 80.00

मदिरा पर देय परमिट फीस

(ब) 20000 बोतल वार्षिक की सीमा से अधिक प्रत्येक 10 प्रतिशत वृद्धि पर बोतलों की बिक्री पर रू0 5/— प्रति बोतल की बढ़ी दर से ।

8. उत्पाद शुल्क की दरें

1.विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की अभिकर की दर।	55.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर ।
2. बियर (5 प्रतिशत तक अल्कोहल तीव्रता वाली) की अभिकर की दर	11.55 रू0 प्रति बल्क लीटर ।
3. बियर (5 प्रतिशत से अधिक परन्तु 8 प्रतिशत तक अल्कोहल तीव्रता वाली) की अभिकर की दर	23.10 रू0 प्रति बल्क लीटर ।
4.सैन्य कैन्टीन को दी जाने वाली रियायती रम	45.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर ।
5. भारतीय सेना एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को दी जाने वाली रम—उत्तरांचल राज्य के भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को प्रतिवर्ष दी जाने वाली कमशः 1,80,180 लीटर एवं 41,168 लीटर की सीमा तक रम ।	शासकीय अधिसूचना संख्या 27/आब/2002/दिनांक 14.1.2002 के द्वारा इस सीमा तक रम अभिकर मुक्त कर दी गयी है।

9.एसेस्मेंट शुल्क की दरें

एफ0एल0—9/9एः— निश्चित लाइसेंस फीस 92/—रू0 प्रति लाईसेंस वार्षिक देय होगी व विदेशी मदिरा, रियायती रम तथा बियर की बिकी पर निम्नानुसार एसेसमेंट फीस देय होगी।

1.	विदेशी मदिरा (व्हिस्की, ब्राण्डी एवं जिन)	32.00 रू0 प्रति बोतल ।
2.	रियायती रम	20.00 रू0 प्रति बोतल ।
3.	बियर (5 प्रतिशत एल्कोहल तीव्रता तक)	2.00 रू0 प्रति बोतल ।
4.	बियर (5 प्रतिशत से अधिक परन्तु 8 प्रतिशत तक एःल्कोहल तीव्रता वाली)	3.00 रू0 प्रति बोतल ।

10.आयात की दरेंः—

1.	विदेशी मदिरा (बोतलों में)	5.00 रू0 प्रति बोतल ।
2.	विदेशी मदिरा (ब0ली0 में)	2.00 रू0 प्रति अल्कोहल ली0
3.	बियर	1.00 रू0 प्रति बोतल ।
4.	माल्ट स्प्रिट	2.00 रू0 प्रति अल्कोहल ली0
5.	रेक्टिफाईड स्प्रिट	1.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर
6.	विकृत सुरा/विशेष विकृत सुरा (अ)उत्तराचंल स्थित औद्योगिक रासायनिक इकाईयों द्वारा विशेषतः विकृत स्प्रिट (एस0डी0एस0) व विकृत स्प्रिट (डी0एस0) आयात किये जाने पर ।(Hospitals, Dispensaries and other charitable and educational institutionsa के लिए भी छूट पूर्ववत जारी रहेगी ।)	शून्य।
	(ब)थोक व फुटकर विकेताओं तथा प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा विशेषतः विकृत स्प्रिट (एस0डी0एस0) व विकृत स्प्रिट (डी0एस0) आयात किये जाने पर ।	रू0 1.10/- (रूपये एक एवं दस पैसे मात्र) प्रति ब0ली0

11. निर्यात फीस की दरें

1.	शोधित आसव (पेय मदिरा अथवा औद्योगिक प्रयोजनार्थ)	1.00 रू0 प्रति बल्कलीटर । (दिनांक 31.03.2006तक प्रभावी है तथा आगामी वर्ष में संशोधन होने पर सूचित किया जायेगा।)
2.	ई0एन0ए0	1.00 रू0 प्रति बल्कलीटर । (दिनांक 31.03.2006तक प्रभावी है तथा आगामी वर्ष में संशोधन होने पर सूचित किया जायेगा।)
3	विकृत सुरा (औद्योगिक प्रयोजनार्थ)	0.50 रू0 प्रति बल्कलीटर
4.	देशी मदिरा	4.00 रू0 प्रति अल्कोहल ली0
5.	विदेशी मदिरा (बोतलों में)	2.67 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर
6.	विदेशी मदिरा (ब0ली0 में)	5.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर
7.	बियर	0.50 रू0 प्रति बल्क लीटर
8.	माल्ट स्प्रिट	5.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर
9.	भांग	3.00 रू0 प्रति किलोग्राम

12. (अ) विदेषी मदिरा के एक्स डिस्टिलरी मूल्य पर स्लैबवार देय न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी (एफ0एल0-5डी अनुज्ञापी, द्वारा देय) जो दिनांक 1.4.2006 से प्रभावी होगी।

एक्स आसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	न्यूनतम वार्षिक गारन्टीड राशि में से देय प्रति बोतल अभिकर
22.00/- रू0 तक	55.00/- रू0 प्रति बोतल
22.01/- रू0 से 35.00/- रू0 तक	65.00/- रू0 प्रति बोतल
35.01/- रू0 से 55.00/-रू0 तक	75.00/- रू0 प्रति बोतल
55.01/- रू0 से 75.00 रू0 तक	85.00/- रू0 प्रति बोतल
75.01/- रू0 से 150.00 रू0 तक	100.00/- रू0 प्रति बोतल
150.00/-रू0 से अधिक	110.00/- रू0 प्रति बोतल

एफ0एल0–2 से बियर की निकासी पर न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की कोई राशि देय नहीं होगी ।

13. (अ) एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत आसवक को न्यूनतम 1,00,000 / – रूपये प्रतिवर्ष की दर से बाटलिंग फीस निम्न दरों पर विदेशी मदिरा की बोतलों की भराई पर देय होगी :–

कमांक	बोतल का प्रकार	एफ0एल0–3 हेतु
1.	1000मिलीलीटर बोतल	1.00 रू0 प्रति बोतल
2.	750मिलीलीटर बोतल	0.75 रू0 प्रति बोतल
3.	500मिलीलीटर बोतल	0.55 रू0 प्रति बोतल
4.	375 मिलीलीटर अद्धा	0.45 रू0 प्रति अदधा
5.	180मिलीलीटर पौव्वा	0.30 रू0 प्रति पौवा

13. (ब) एफ0एल0–3ए व एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत न्यूनतम 1,00,000 / –प्रति वर्ष की दर से विदेशी मदिरा की बोतल भराई पर (बाटलिंग फीस) निम्नानुसार देय होगी।

कमांक	बोतल का प्रकार	एफ0एल0–3 ए व एफ0एल0एम0–3 हेतु
1.	750मिलीलीटर बोतल	4.50 रू0 प्रति बोतल
2.	375 मिलीलीटर अद्धा	2.25 रू0 प्रति अद्धा
3.	180मिलीलीटर पौवा	1.15 रू0 प्रति पौव्वा

13 (स) एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत ब्रिवरी(यवासवनी) के अन्तर्गत न्यूनतम 1,00,000 / –प्रति वर्ष की दर से बियर बोतल भराई पर (बाटलिंग फीस) निम्नानुसार देय होगी।

(1) 650एम0एल0की बोतल पर	रू0 0.25 प्रति बोतल
(2) 350एम0एल0या इससे कम धारिता की बोतल पर	रू0 0.15 प्रति बोतल

14. देषी मदिरा पर उत्पाद शुल्क (सी0एल0–5सी अनुज्ञापी द्वारा देय)

देशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क 70 / – रूपये प्रति ब0ली0 (36 प्रतिशत वी / वी तीव्रता) की दर से देय होगा।

15. आबकारी मैनुअल खण्ड–1 के भाग–2 के चैप्टर–VIII के सेक्षन–XXV के नियम–12 के अन्तर्गत आसवनी/विदेषी मदिरा की बोतलों की भराई नियमावली, 1969 (यथासंषोधित) के अन्तर्गत तथा आसवनी में किसी सेक्षन में ओवर टाईम फीस का निर्धारण निम्नवत है:–

आबकारी निरीक्षक के लिए	रू0 60.00 प्रति घंटा ।
आबकारी लिपिक/उप आबकारी निरीक्षक	रू0 36.00 प्रति घण्टा
आबकारी सिपाही	रू0 32.00 प्रति घण्टा।

16.शीरा पर प्रशासनिक शुल्क

1.	राज्य की इकाईयों हेतु शीरा की बिकी पर प्रशासनिक शुल्क	रू011/– प्रति कुंटल
2.	उत्तर प्रदेश की अल्कोहल/शीरा पर आधारित रासायनिक उद्योगों हेतु की गयी शीरा की बिकी पर	रू0 11/– प्रति कुंटल
3.	उपरोक्त (2) के अतिरिक्त शीरा के निर्यात पर	रू0 15/– प्रति कुंटल

आज्ञा से

(नवीन चन्द्र शर्मा)
आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल,देहरादून।